

**फॉर्म अहकाम
(नियम 26)**

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

लीला कांड

बनाम: राजेश कुमार शर्मा अर्जित (वकील) बनाम राजेश कुमार शर्मा (वादी)

मुकदमा नं०


15-45

नं०

36

सन्

16

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
04/03 2020	<p>पत्रावली पेश हुई... अधिकांश कार्य... न्यायालय द्वारा... अथ पत्रावली... 15/03/2020 को पेश की जावे।</p> <p align="center">B.P. Jug SR</p>	
16/03 2020	<p>पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्रावली उक्तिगत। वकील वादी द्वारा साक्षर में खयाल गवाह... एक अवसर चाहा गया। वादी को पूर्व में फर्माते अवसर दिए जा चुके हैं, पुनः न्यायस्थिति में एक अन्य अवसर और दिया जाता है पत्रावली वादी साक्षर वादी दिनांक 19/03/2020 को पेश है।</p>	
19/03 2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगाई गई वाकपूरा सूचना वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः प्रकरण में वादी की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से बादपत्र धारा 88, 136 शर्मा एक्ट इसी स्तर पर अदम धारिणी अदम पैरवी में शरारिय किया जाता है। पत्रावली प्रिंसल कुमार धेकर दर्ज शरारत से कम की जाकर शामिल दफ्तर है।</p>	<p align="right">* उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (15/03/2020)</p>